Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- ## जालोर में हैड कांस्टेबल, पुलिस थाना सरवाना, जिला जालोर को रिश्वत राशि 50,000/– रु. लेते रंगे हाथों गिरफ्तार ।

जयपुर दिनांक 06 सितम्बर, शनिवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. चौकी बाड़मेर इकाई द्वारा कार्यवाही करते हुए आरोपी भंवरलाल हैड कानि. नं. 709, पुलिस थाना सरवाना, जिला जालोर को परिवादी एवं अन्य के विरूद्ध पुलिस थाना सरवाना(जालोर) में दर्ज प्रकरण की एफ.आई.आर. में नामजद मुल्जिमों के अलावा 02 से अधिक अन्य सह–आरोपितों को प्रकरण में मुल्जिम नहीं बनाने व मुकदमें में सहयोग करने की ऐवज में मुल्जिमों के वकील (परिवादी) से 50,000/– रु. रिश्वती राशि की मांग कर आज उपरोक्त तय शुदा रिश्वती राशि 50,000/– रू. लेते हुए को पुलिस थाना सरवाना के परिसर में स्थित अपने स्वंय के राजकीय आवास से रंगे हाथों गिरफ्तार किया हैं।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमति स्मिता श्रीवास्तव** ने बताया कि ए.सी.बी. चौकी बाड़मेर को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादी के मुवक्कील एंव उनके अन्य परिजनों के विरूद्ध पुलिस थाना सरवाना में दर्ज उपरोक्त वर्णित प्रकरण में आरोपित हैड कानि. द्वारा बतोर अनुसंधान अधिकारी नामजद मुल्जिमों के अलावा 02 से अधिक अन्य सह–आरोपितों को प्रकरण में मुल्जिम नहीं बनाने व मुकदमें में सहयोग करने की ऐवज में मुल्जिमों के वकील (परिवादी) से 50,000/– रू. रिश्वती राशि की मांग कर उक्त राशि प्राप्त की गई।

जिस पर एसीबी रेंज जोधपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री भुवन भूषण यादव** के सुपरवीजन में आज ए.सी.बी इकाई बाड़मेर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार** द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी भंवरलाल हैड कानि. 709, पुलिस थाना सरवाना को परिवादी से 50,000/– रू. रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया हैं।

आरोपियों से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी हैं। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।